सत्याक स० 218 शुल्क- 7.00 शीट - 2 शब्द 360 लगभग

न्यायालय उपजिला अधिकारी बांसी, सिद्धार्थनगर

वाद सं० 3/10

बलराम प्रसाद कुशवाहा मानव सेवा शिक्षा समिति बनाम सरकार	धारा 143 ज०वि० अधि० ग्राम तिवारीपुर तप्पा- चंवर कुदरान, ग्रामदेवा तप्पा चवर-कुदरान परगना - बांसी पूरब तहसील- बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर

नकल आदेश दिनांक 29-3-2010

नोट- नकल आदेश दिनांक 29-3-2010 की छायाप्रति एक वर्क संलग्न है।

निरस्त

निरस्त

उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर बांसी

2
7.00
10/6/10

न्यायालय उपजिलाधिकारी बाँसी जनपद- सिद्धार्थनगर।

वाद संख्या- 05 10

[illegible] मानव सेवा [illegible] समिति [illegible]

बनाम

[illegible]

धारा 143 ज०वि०अधि०

मौजा- [illegible] तप्पा- [illegible]

मौजा-कुदारन [illegible] तप्पा-

कुदारन परगना- [illegible] तह०-बाँसी

जनपद- सिद्धार्थनगर।

निर्णय

[illegible] नायब तहसीलदार बाँसी की आख्या दि० 1[illegible]-3-10 पर [illegible] हुआ। नायब तहसीलदार बाँसी का कथन है कि मौजा सिवापुर तप्पा-चंवर [illegible] के गाटा सं० 274क/0.022, 275क/0.009, 274ख/0.052, व मौजा कुदारन तप्पा-[illegible] के गाटा सं० 78/0.139, 36मि०/0.020, 38मि०/0.016, 39मि०/0.121 [illegible], 75ख मि०/0.004, 73मि०/0.048, 36मि०/0.020, 39क/0.080, [illegible], 77/0.1[illegible], 62मि०/0.012, 43मि०/0.073, 49/0.096, 51/0.029, 52/0.095, 76/0.111, व ग्राम [illegible] तप्पा- कुदारन के गाटा संख्या- [illegible], 141मि०/0.006, 142मि०/0.173, 171मि०/0.47[illegible], 227ख/0.022, [illegible] कुल रकबा 1.9[illegible] [illegible] [illegible] मानव सेवा [illegible] कागजात से मौके पर यह भूमि कृषि[illegible] [illegible] आदि कृषि में प्रयोग नहीं किया जा रहा है तथा [illegible] प्राधि-[illegible] परिषद तथा अन्य सरकारीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्ता-[illegible] भूमि [illegible] रामप्रसाद कुलवन्तीदेवी मानव सेवा शिक्षा [illegible] द्वारा विद्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जो वादी के रूप में है [illegible] भूमि अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

[illegible] पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। उक्त पत्रावली में नायब तह०-[illegible] आख्या दि० 12-3-10 से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का उपयोग कृषि [illegible] नहीं किया जा रहा है अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

[illegible] सिवापुर तप्पा- चंवर के खतौनी वर्ष 1415 से 1420 फ० के [illegible] के गाटा सं० 274क/0.022, खाता सं० 109 के गाटा संख्या- [illegible]/0.009, [illegible] खाता सं० 76 के गाटा सं० 274ख/0.052, [illegible] [illegible] खतौनी [illegible] 1416 से 1421 फ० के [illegible] [illegible] के गाटा सं० 36मि०/0.020, [illegible] [illegible]/0.004, [illegible]मि०/0.1[illegible] [illegible] [illegible]/0.080, 38मि०/0.016, व खाता सं० 13 के गाटा सं०- [illegible]/0.102, खाता [illegible]20 के गाटा सं० 62मि०/0.012, खाता सं० 115 के गाटा सं० [illegible]/0.073, खाता सं० 49/0.096, 51/0.029, 52/0.095, व खाता सं० 207 के [illegible] 76/0.111 [illegible] तप्पा- कुदारन के खतौनी [illegible] से 1421 फ० [illegible] सं० 29 के गाटा सं० 137मि०/ 0.00[illegible], 141मि०/0.006, [illegible] 0.173 [illegible]/0.47[illegible], [illegible]/0.0[illegible], [illegible]/0.20[illegible], कुल कुल रकबा 1.9[illegible] [illegible] मानव सेवा शिक्षा समिति [illegible] [illegible] 143 के [illegible] [illegible]

[illegible] ह० अपठनीय

[illegible] 11/6/10

उपजिलाधिकारी [illegible]

नकल नं० 201
शुल्क 15.00
प्राप्त 29.5 [illegible]
पंके 02 (दो)

न्यायालय अपर जिलाधिकारी बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

वाद सं० 1/09

बलराम प्रसाद कुलवन्ती देवी मानव सेवा शिक्षा समिति
बनाम
सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज० वि० अधि०
मौजा तिवारीपुर
टप्पा चवर
परगना बांसी पूरब
तहसील बांसी
जनपद सिद्धार्थनगर।

नकल आदेश उपजिलाधिकारी बांसी दि० 28-9-09 की प्रमाणित छाया प्रति एक वर्क संलग्न है।

8

न्यायालय उपजिलाधिकारी बाँसी जनपद- सिद्धार्थनगर।

वाद संख्या - 01 /09

बलरामप्रसाद कुलवन्तीदेवी मानव सेवाशिक्षा समिति बनाम सरकार	धारा 143 ज0वि0अ0 मौजा - तिवारीपुर तप्पा - चंवर परगना - बाँसी पूरब तह0-बाँसी जनपद - सिद्धार्थनगर।

निर्णय
======

प्रस्तुत वाद तहसीलदार बाँसी के आख्या दिनांक 24-9-09 पर प्रारम्भ हुआ। तहसीलदार बाँसी का कथन है कि ग्राम तिवारीपुर तप्पा- चंवर के गाटा सं0 276 व 274 है कुल रकबा 0.657 है। भू-राजस्व 27.15 के बलरामप्रसाद कुलवन्तीदेवी मानव सेवा शिक्षा समिति द्वारा प्रबन्धक डॉ0 दशरथ प्रसाद चौधरी निवासी ग्राम चंवर तप्पा - असनार का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि , बागबानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कृषि कार्य मे प्रयोग नही किया जा रहा है तथा यह भूमि विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद तथा अन्य शासकीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है। उक्त भूमि पर बलरामप्रसाद कुलवन्तीदेवी मानव सेवाशिक्षा समिति के द्वारा दो मंजिला मकान बनकर तैयार है। जिसमे 16 कमरे मौजूद है। तथा बगल मे नौ कमरे निर्माणाधीन है। जो आबादी के रूप में है। उक्त भूमि अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

~~उक्त पत्रावली पर~~ उक्त पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। उक्त पत्रावली मे तहसीलदार बाँसी की आख्या दि0 24-9-09 से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नही किया जा रहा है। अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश
======

अत: ग्राम तिवारीपुर तप्पा - चंवर के खतौनी वर्ष 1415 से 1420 फ0 के खाता सं0 61 के गाटा सं0 276मि0 /0.185 व खाता सं0 62 के गाटा सं0 276मि0 /0.405 व खाता सं076 के गाटा सं0 274है0/0.067 कुल रकबा 0.657 के खातेदार बलराम प्रसाद कुलवन्तीदेवी मानव सेवा शिक्षा समिति प्रबन्धक डॉ0 दशरथ चौधरी पुत्र बलराम चौधरी साकिन- चंवर के नाम अंकित भूमि अकृषिक भूमि घोषित की जाती है तथा भू-राजस्व 27.15 से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना निर्गत हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा0द0 हो।

दिनांक- 26/9/09

उपजिलाधिकारी,
बाँसी।

[redacted] 26-8-09
[redacted] 26 -8-09
[redacted] 26 -8-09

[redacted] 26/9/09 [redacted]